

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 17-02-2024

क्रमांक एफ 1/1/1/0006/2025/18-1, राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर की मध्यप्रदेश, राज्य सेवा परीक्षा वर्ष-2023 के माध्यम से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर मध्यप्रदेश राज्य नगरीय प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत मुख्य नगर पालिका अधिकारी "ग" श्रेणी के पद पर सातवें वेतनमान रुपये 36200-114800 (लेवल-9) में निर्धारित भत्तों पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से नियुक्त करते हुये उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई निकाय में पदस्थ करता है:-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	पदस्थापना का स्थान व जिला	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री सिद्धांत जैन	UNR	नगर परिषद, खरगापुर जिला टीकमगढ़	वार्ड नं-09 जैन मन्दिर, देवेन्द्रनगर ग्राम/शहर- देवेन्द्रनगर जिला-पन्ना पिनकोड-488333
2	श्री प्रिंस अग्रवाल	UNR	नगर पालिका परिषद, मैहर जिला मैहर	मकान क्रं-650 वार्ड क्रं-6 , जवाहर लाल नेहरू वार्ड बरही न.प. ग्राम/शहर- बरही जिला-कटनी पिनकोड- 483770
3	श्री नृपत सिंह	UNR	नगर परिषद, छनेरा जिला खण्डवा	92/201, वार्ड क्रं- 01 भगत सिंह नगर शहर- आलमपुर जिला-भिण्ड पिनकोड- 477449
4	श्री अनंत श्रीवास्तव	UNR	नगर परिषद, राजनगर, जिला छतरपुर	वार्ड क्रं-13 हाउसिंग कॉलोनी इंद्रा पार्क ग्राम/शहर-भिण्ड जिला-भिण्ड पिनकोड-477001
5	श्री अनिलेश कुमार मिश्र	UNR	नगर परिषद, मनगवां जिला रीवा	ग्राम पोस्ट- गौरी थाना शाहपुर तहसील हनुमना जिला- मउगंज पिनकोड- 486331
6	श्री मोहित शुक्ला	UNR	नगर परिषद, गुढ़ जिला रीवा	वार्ड क्रं-13 शासकीय अरु पताल रोड ग्राम/शहर- ढ यौहारी जिला- शहडोल

7	सुश्री सपना रघुवंशी	EWSF	नगर परिषद, लटेरी जिला विदिशा	पिनकोड-484774 ग्राम-मढिया, पोस्ट वीरपुर जिला-रायसेन पिनकोड-464886
8	श्री राघवेन्द्र शुक्ला	EWS	नगर परिषद, बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़	भोले कॉलोनी ग्राम/शहर-राजनगर जिला-छतरपुर पिनकोड-471625
9	सुश्री शिवांगी पाण्डेय	UNRF	नगर परिषद व्योहारी, जिला शहडोल	122/9, मझियार रोड, बोदा बाग, हुजूर, रीवा ग्राम/शहर-रीवा जिला-रीवा पिनकोड-486001
10	सुश्री रोशनी	UNRF	नगर परिषद, भैंसदेही जिला बैतूल	ग्राम पोस्ट रिधोरा जिला-बैतूल पिनकोड-460663
11	श्री प्रेमशंकर परमार	SC	नगर परिषद, बड़ागांव जिला आगर मालवा	ग्राम पोस्ट गाजनोद, तहसील बदनावर जिला-धार पिनकोड-454665
12	सुश्री दिव्यानी जावरे	SCF	नगर परिषद, चांद जिला छिंदवाड़ा	वार्ड क्रमांक-27 शोभापुर कालोनी ग्राम/शहर-पाथाखेड़ा जिला-बैतूल पिनकोड-460449
13	श्री प्रियव्रत बकोरिया	ST	नगर पालिका परिषद, डोंगर परासिया जिला छिंदवाड़ा	G-11 एग्रीकल्चर टेनिंग सेंटर ग्राम/शहर-बैतूल बाजार जिला-बैतूल पिनकोड-460004
14	श्री जतिन कुमार ठाकुर	ST	नगर परिषद, नईगढ़ी जिला रीवा	शिक्षक कॉलोनी तामिया वार्ड नं-16 ग्राम/शहर-तामिया जिला-छिंदवाड़ा पिनकोड-480559
15	सुश्री श्रद्धा मेरावी	STF	नगर परिषद, न्यूटन चिखली जिला छिंदवाड़ा	वार्ड नं-01 ग्राम गोहारा तहसील-बैहर जिला-बालाघाट पिनकोड-481105
16	श्री सौरभ चौहान	ST	नगर परिषद, भावरा जिला अलीराजपुर	ग्राम-सतावड़ पोस्ट सतावड़ तहसील सेगांव जिला-खरगोन पिनकोड-451440

02- उपर्युक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला चिकित्सालय बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा जारी मुख्य चयन सूची के वरिष्ठता क्रम के अनुसार रहेगी जो पृथक से निर्धारित की जायेगी।
3. चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जायेगी।
4. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगमों/मण्डलों/बोर्डों/निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों को उपस्थिति के समय नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/कार्यमुक्त आदेश संचालनालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित/नियुक्त उम्मीदवार द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्तों का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उनसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जावेगी।
6. चयनित/नियुक्त उम्मीदवार नवीन अंशदायी परिभाषित पेंशन योजना 2005 के सदस्य होंगे।
7. यह नियुक्ति आदेश पुलिस वेरिफिकेशन तथा चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर जारी किया जा रहा है। यदि पुलिस वेरिफिकेशन या चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में कोई उम्मीदवार सेवा हेतु अयोग्य पाया जाता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जायेगी।
8. चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों को पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
9. चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों द्वारा लोक सेवा आयोग, इन्दौर/संचालनालय में दस्तावेजों/ अभिलेखों के परीक्षण के समय प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों में भविष्य में कोई विसंगति संज्ञान में आती है तो उस उम्मीदवार की नियुक्ति समाप्त करने हेतु विभाग एक पक्षीय कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
10. लोक सेवा आयोग, इन्दौर द्वारा घोषित किया गया चयन परिणाम पूर्णतः प्रावधिक रूप से जारी किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक एस.एल.पी.(सी)-5817/2023, एस.एल.पी. (सी)-23514/2023 तथा अन्य समान तथा याचिकाओं एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी 5901/2019, डब्ल्यू. पी.30782/2023 एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्याधीन रहेगा।
11. चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएं मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम 1961 एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के अध्याधीन होगी।
12. कोई भी चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, परन्तु कोई चयनित/नियुक्त उम्मीदवारों सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा यदि उसके पूर्व में एक जीवित संतान है और प्रसव 26.01.2001 को या उसके पश्चात् होता है जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतानों का जन्म होता है।
- 13- इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण अधिनियम, 1994) क्रमांक-21 सन् 1994 के उपबंधों

का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

Digitally signed by

PRAMOD KUMAR SHUKLA

Date: 17-02-2026

19:42:35

(प्रमोद कुमार शुक्ला)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल, दिनांक 17-02-2026

पृ.क्र. एफ 1/1/1/0006/2025/18-1

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री जी कार्यालय, भोपाल।
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल म.प्र.।
3. उप सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पत्र क्रमांक 11235/79/2025/चयन दिनांक 18.11.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ।
4. आयुक्त, संचालनलय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।
5. संबंधित संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. संबंधित कलेक्टर, म.प्र.।
7. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.।
8. संबंधित अध्यक्ष/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद, म.प्र.।
9. चयनित/नियुक्त उम्मीदवार।
10. श्री अभिलाष सोनी, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास वेबसाईट में प्रकाशन हेतु पालनार्थ।

की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ।

11. गार्ड फाईल।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग